न्यायालय –अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज0)

पीठासीन अधिकारी – सीमा कुमारी (आर.जे.एस)

निर्णय दिनांक – 07 अप्रैल, 2026

नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या – 701/2021

सीआईएस नंबर – 701/2021

सीएनआर नंबर – RJJH070014752021

राजस्थान राज्य बनाम सुनील

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 658/2021, पुलिस थाना खेतडी
अपराध अन्तर्गत धारा– 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता

भाग–प्रथम

A

परिवादी	सतवीर पुत्र रामसिंह, हाल उम्र 32 वर्ष, निवासी टीबा बसई, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं (राज.)
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी श्री कृष्ण कुमार
अभियुक्त का नाम व पता	सुनील पुत्र हंसराम, हाल उम्र 32 वर्ष, निवासी नालपुर, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं (राज.)
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री कृष्ण कुमार वर्मा

B

अपराध की दिनांक	09.09.2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	09.09.2021
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	04.12.2021
आरोप मौखिक सुनाने की दिनांक	04.12.2021
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	26.06.2023

निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	07.04.2026
निर्णय दिनांक	07.04.2026

C
अभियुक्त का विवरण

क्र. सं	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिये अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	सुनील	04.12.2021	04.12.2021	279, 337, 338 भा.दं.सं	दोषमुक्त	––	––

भाग द्वितीय
अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची
अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी0डब्ल्यू 01	सत्यवीर	एफआईआरकर्ता/परिवादी
पी0डब्ल्यू 02	विक्रम	फर्द गवाह
पी0डब्ल्यू 03	दीपक	फर्द गवाह
पी0डब्ल्यू 04	सरिता	चश्मदीद साक्षी
पी0डब्ल्यू 05	इंद्रा	चश्मदीद साक्षी
पी0डब्ल्यू 06	मनीषा	चश्मदीद साक्षी
पी0डब्ल्यू 07	संतोष	चश्मदीद साक्षी
पी0डब्ल्यू 08	किशनलाल	फर्द गवाह
पी0डब्ल्यू 09	विनोद	फर्द गवाह
पी0डब्ल्यू 10	सतीश	फर्द गवाह
पी0डब्ल्यू 11	रणजीत	चिकित्सकीय साक्षी
पी0डब्ल्यू 12	डॉ. अक्षय	चिकित्सकीय साक्षी

पी0डब्ल्यू 13	सरदारमल	फर्द गवाह
पी0डब्ल्यू 14	ओमप्रकाश	अनुसंधान अधिकारी

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–	–	–

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––	–निल–	––

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श
अ–अभियोजन प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण–
01	प्रदर्श पी–01	प्रथम सूचना रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी–02	चाक प्र.सू.रिपोर्ट
03	प्रदर्श पी–03	फर्द नक्शामौका घटनास्थल
04	प्रदर्श पी–04	फर्द निरीक्षण एवं सुपुर्दगी क्षतिग्रस्त कार नं. RJ 14 YC 3449
05	प्रदर्श पी–05	फर्द जप्ती कागजात
06	प्रदर्श पी–06	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट
07	प्रदर्श पी–07	एक्स–रे रिपोर्ट
08	प्रदर्श पी–08 लगायत प्रदर्श पी–10	एक्स–रे प्लेटें इंद्रा देवी
09	प्रदर्श पी–11	एक्स–रे रिपोर्ट
10	प्रदर्श पी–12 लगायत प्रदर्श पी–14	एक्स–रे प्लेटें संतोष देवी
11	प्रदर्श पी–15	चोट प्रतिवेदन संतोष देवी
12	प्रदर्श पी–16	चोट प्रतिवेदन इंद्रा देवी

ब–बचाव प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण
–	–	–

स–न्यायालय प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण
	––	–निल–

द–भौतिक वस्तुएं

क्रम संख्या	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	––	–निल–

–:: निर्णय :: **दिनांक 07/04/2026**

01. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी सतवीर ने पुलिस थाना, खेतड़ी में एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की ''कि आज दिनांक 09.09.2021 को मैं मेरी गाड़ी नं. RJ 14 YC 3449 में मेरी मम्मी संतोष देवी मेरी फैमिली सरिता (पत्नी), इन्द्रा पत्नी रामकुमार माली निवासी बेसरड़ा को बसई से लेकर तातीजा देई माई के जात लगवाने गया था। जब मैं वापस आ रहा था तो समय करीब 7.00 पी.एम. पर जब मैं नानूवाली बावड़ी बस स्टैण्ड पर मेरी साइड से पहुंचा तो नानूवाली बावड़ी की तरफ से एक थार गाड़ी नं. RJ 18 UA 4099 को उसका चालक तेज गति व लापरवाही से चलाकर मेरी गाड़ी के बाई तरफ टक्कर मारी, जिससे मेरी मम्मी संतोष देवी व इन्द्रा के गंभीर चोटें आईं। मैं उनको लेकर खेतड़ी अस्पताल में आ गया। थार चालक ने तेज गति व लापरवाही से चलाकर मेरी गाड़ी के टक्कर मारी, जिससे चोटे आई। आदि–आदि।'' जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 658/2021, पुलिस थाना खेतड़ी में दर्ज कर, बाद अनुसंधान अभियुक्त सुनील के विरूद्ध धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. अभियुक्त को धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप सारांश मौखिक सुनाया समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

03. अभियोजन पक्ष ने मौखिक साक्ष्य में पृष्ठ संख्या 02 व 03 पर भाग द्वितीय **"अ"** में वर्णित गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाये व पृष्ठ संख्या 03 पर भाग द्वितीय **"अ"** में वर्णित दस्तावेज प्रदर्शित करवाये।

04. बयान मुलजिम लिए गए। अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया एवं प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं करनी चाही, जिस पर प्रतिरक्षा साक्ष्य समाप्त की गई।

05. बहस अंतिम उभयपक्षीय सुनी गई। अभियोजन अधिकारी ने बहस अंतिम में कथन किया कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को उचित दंड दिया जावे।

06. अधिवक्ता अभियुक्त ने बहस अंतिम में कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में वक्त दुर्घटना वाहन के चालक की पहचान किसी गवाह द्वारा नहीं की गई है। प्रकरण के परिवादी पीडब्ल्यू 1 सतवीर ने वक्त दुर्घटना वाहन चालक अभियुक्त सुनील का होना नहीं बताया है। घटना के चश्मदीद साक्षियों के रूप में परीक्षित गवाहों ने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर मौखिक साक्ष्य में नहीं बताए हैं। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे। अधिवक्ता अभियुक्त ने अपनो तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायदृष्टांत पेश किए हैं –

- *Ramesh Prakash v/s State Of Rajasthan, 2025 (1) Cr.L.R. (RHC), Page No. 247, Decided On 15.01.2025*
- *Shambhoo Lal v/s State Of Rajasthan, 2024 (1) Cr.L.R. (RHC), Page No. 348, Decided On 02.02.2024*
- *Bhag Chand v/s State Of Rajasthan, 2013 (2) Cr.L.R. (RHC, Jaipur Bench), Page No. 128, Decided On 11.07.2013*

07. पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायदृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के विरुद्ध विचारणीय बिंदू हैं कि:–

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 09.09.2021 को समय करीब 7:00 ए.एम. पर खेतड़ी से सिंघाना जाने वाली आम सड़क पर नानूवाली बावड़ी बस स्टेण्ड के सामने वाहन थार नम्बर RJ 18 UA 4099 को उतावलेपन या उपेक्षा से संचालित कर **धारा 279 भा.दं.सं** का अपराध कारित किया?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय, स्थान पर वाहन थार नम्बर RJ 18 UA 4099 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर आहत को टक्कर मारकर उपहित कारित कर **धारा 337 भा.दं.सं** का अपराध कारित किया?

3. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय, स्थान पर वाहन थार नम्बर RJ 18 UA 4099 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर आहत को टक्कर मारकर घोर उपहित कारित कर **धारा 338 भा.दं.सं** का अपराध कारित किया?

4. यदि हां तो सजा ?

08. उक्त विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में न्यायालय की विवेचना निम्नानुसार हैः–

हस्तगत प्रकरण में परिवादी विकास ने तहरीर रिपोर्ट **प्रदर्श पी–01** संबंधित थाने में इस आशय की प्रस्तुत की ''कि आज दिनांक 09.09.2021 को मैं मेरी गाड़ी नं. RJ 14 YC 3449 में मेरी मम्मी संतोष देवी मेरी फैमिली सरिता (पत्नी), इन्द्रा पत्नी रामकुमार माली निवासी बेसरड़ा को बसई से लेकर तातीजा देई माई के जात लगवाने गया था। जब मैं वापस आ रहा था तो समय करीब 7.00 पी.एम. पर जब मैं नानूवाली बावड़ी बस स्टैण्ड पर मेरी साइड से पहुंचा तो नानूवाली बावड़ी की तरफ से एक थार गाड़ी नं. RJ 18 UA 4099 को उसका चालक तेज गति व लापरवाही से चलाकर मेरी गाड़ी के बाई तरफ टक्कर मारी, जिससे मेरी मम्मी संतोष देवी व इन्द्रा के गंभीर चोटें आईं। मैं उनको लेकर खेतड़ी अस्पताल में आ गया। थार चालक ने तेज गति व लापरवाही से चलाकर मेरी गाड़ी के टक्कर मारी, जिससे चोटे आई। आदि–आदि।''

09. हस्तगत प्रकरण के परिवादी **पी0ड0–01 सत्यवीर** ने सशपथ कथन किया कि ''दिनांक 09.09.21 को गाड़ी नम्बर RJ 14 YC 3449 में मैं और मेरी माता संतोष देवी, पत्नी सरिता और दोस्त की माता व दोस्त की पत्नी मनीषा व दोस्त की मां इन्द्रा देवी गांव तातीजा में दई माता के धोक लगाकर वापिस आ रहे थे। जब हम सुबह सात बजे नानूवाली बावड़ी पहुचे तो नानूवाली बावड़ी की तरफ से एक गाड़ी नम्बर नोट – हाथ पर लिखा हुआ देखकर गवाह ने RJ 18 UA 2099 बताया है, फिर गवाह ने **कहा 4099 तेज** गति से चलाता हुआ लाया और मेरी गाड़ी के बांये तरफ से टक्कर मार दी जिससे मेरी मां व इन्द्रा देवी को गंभिर चोटे आई। मैंने थाने में रिपोर्ट दी, जो प्रदर्श पी 01 है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है, जिन पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने मेरे सामने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 बनाया था, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने मेरी गाड़ी नम्बर RJ 14 YC 3449 का फर्द निरीक्षण बनाया था जो प्रदर्श पी 04 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।''

गवाह ने **जिरह** में स्वीकार किया कि ''यह सही है कि मेरी माता के जयपुर के इलाज के कागज आज पत्रावली में मौजूद नहीं है और ना ही डिस्चार्ज टिकट मौजूद है। **मैंने मौके पर वाहन चालक को देखा था। यह सही है कि सुनील कुमार मौके पर गाड़ी नहीं चला रहा था और ना ही वो उस समय गाड़ी का ड्राईवर था** और ना ही मैंने सुनील को मौके पर देखा। **मौके पर गाड़ी शायद सुनील का लड़का चला रहा था।** गाड़ी के नंबर RJ 14 U**C** 4099 है। ''

10. दुर्घटना की आहता **पीडब्ल्यू–5 इन्द्रा** ने सशपथ कथन किया कि ''आज से चाल साल पहले की बात है। मैं, मनीषा, सिद्धार्थ राजपूतों की दो महिलाएं और उनके बच्चे एक गाड़ी जिसका नाम मुझे नहीं पता, से तातीजा जात लगाने गए थे। एक्सीडेंट डोगर बावड़ी के पास हुआ था। डोगर बावड़ी सिंघाना के पास है। **एक पिकअप गाड़ी** के चालक ने हमारी गाड़ी के टक्कर मार दी। हम जात लगाकर घर जा रहे थे। हमारी गाड़ी को राजपूतों का एक लड़का चला रहा था, जिसका नाम मुझे नहीं पता। पिकअप कौन चला रहा था, मुझे नहीं पता। मैं अनपढ़ हूं। मेरे गंभीर चोट आई और मेरा मेडिकल हुआ। सामने से जो गाड़ी आई उसकी लापरवाही से दुर्घटना हुई।''

गवाह ने **जिरह** में कथन किया कि ''सामने से जो गाड़ी आई उसके चालक को मैं नहीं जानती और न ही उसका नाम पता मैं जानती हूं। **मैंने मौके पर उसको देखा नहीं था।''**

11. घटना की अन्य आहता **पी0ड0–7 संतोष** ने सशपथ कथन किया कि ''करीब साढ़े तीन साल पहले की बात थी। सुबह सात बजे की बात है। मैं, इन्द्रा देवी, मनीषा, सतवीर, सरिता तातीजा दाई मां के जात लगाने गए थे। जब हम वापस आ रहे थे, जब नानूवाली बावड़ी के पास आए तब वक्त एक गाड़ी सामने से आई और हमारी गाड़ी के टक्कर मार दी। मेरा हाथ टूट गया था और पसली पर भी चोट आई। उस वक्त दुर्घटना हुई तब मैं घ ाबरा गई थी। मेरे शरीर पर आई चोटों का मेडिकल हुआ था। **मैंने गाड़ी के नंबर नहीं देखे। गाड़ी के चालक ने टक्कर मारी थी, उसको हमने नहीं देखा।''**

गवाह ने **जिरह** में कथन किया कि ''सामने से जो गाड़ी आई उसके चालक को मैं नहीं जानती और न ही उसका नाम पता मैं जानती। मैंने मौके पर उसको नहीं देखा था।''

12. घटना की चश्मदीद **पीडब्ल्यू 4 सरिता** ने सशपथ कथन किया कि ''दिनांक 9 सितंबर, 2021 को हम तातीजा दई माई के जात देने के लिए गए थे। तातीजा से वापस आते वक्त सुबह सात बजे के करीब नानूवाली बावड़ी के पास थार नंबर RJ 18 UA 4099 से हमारी गाड़ी नंबर RJ 14 YC 3449 से टक्कर हो गई थी। टक्कर से मेरी सास संतोष देवी और इन्द्रा देवी के चोटें आई। मनीषा और मेरे बच्चों के कोई चोट नहीं आई। गाड़ी मेरे पति सतवीर चला रहे थे।''

गवाह ने **जिरह** में कथन किया कि **''थार के नंबर RJ 18 UA 4099 मैंने आसपास के लोगों के बताए अनुसार ही बताए हैं।''**

13. घटना के अन्य चश्मदीद **पीडब्ल्यू 6 मनीषा** ने सशपथ कथन किया कि ''करीब साढ़े तीन साल पहले की बात थी। सुबह सात बजे की बात है। मैं, इन्द्रा देवी, संतोष, सतवीर, सरिता तातीजा दाई मां के जात लगाने गए थे। जब हम वापस आ रहे थे, तब सिंघाना से वापस घर की तरफ जा रहे थे। उस वक्त एक गाड़ी सामने से आई और

हमारी गाड़ी के टक्कर मार दी। मेरे सिर में चोट लगी और कांच सिर में घुस गया। मेरी मां इन्द्रा के ज्यादा चोट आई। उस वक्त दुर्घटना हुई तब मैं घबरा गई थी। **मैंने गाड़ी के नंबर नहीं देखे। गाड़ी के चालक ने टक्कर मारी थी, उसको हमने नहीं देखा।"**

गवाह ने **जिरह** में कथन किया कि ''सामने से जो गाड़ी आई उसके चालक को मैं नहीं जानती और न ही उसका नाम पता मैं जानती। मैंने मौके पर उसको नहीं देखा था।''

14. हस्तगत प्रकरण में नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–3 के संबंध में परीक्षित गवाह पीडब्ल्यू 2 विक्रम व पीडब्ल्यू 3 दीपक ने मुर्तिब नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 पर अपने हस्ताक्षरों की ताईद की है।

हस्तगत प्रकरण में फर्द जप्ती दुर्घटना कारित करने वाले वाहन प्रदर्श पी–4 तथा फर्द जप्ती कागजात वाहन प्रदर्श पी–5 के संबंध में परीक्षित गवाह पीडब्ल्यू 8 किशनलाल व पीडब्ल्यू 9 विनोद है, जिन्होंने लगभग शब्दों में कथन किया कि ''सन् 2021 में उनके सामने कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। पुलिस ने उनके सामने **कोई गाड़ी जप्त नहीं की और खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे।"** उक्त गवाहों ने जिरह में फर्द प्रदर्श पी–4 व प्रदर्श पी–5 पर अपने हस्ताक्षरों की ताईद की है।

15. हस्तगत प्रकरण में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के मैकेनिकल मुआयना के संबंध में परीक्षित गवाह **पीडब्ल्यू 10 सतीश** ने सशपथ कथन किया कि ''दिनांक 14.09.2021 को मुकदमा नंबर 658/2021, थाना खेतड़ी में जप्तशुदा थार गाड़ी जिसके नंबर RJ 18 UA 4099 का मैकेनिकल मुआयना किया था। जिसका आगे का बम्फर टूटकर अलग था। बाएं तरफ की हैड लाईट टूटी हुई थी व बाई तरफ का इण्डीगेटर टूटा हुआ था व लाईट के नीचे का हिस्सा मुचा हुआ था। रेडियेटर से पानी टपक रहा था। मैकेनिकल मुआयना प्रदर्श पी–6 है, जिस पर ए से बी मेरे साईन है व सी से डी मेरी रिपोर्ट अंकित है।''

गवाह ने **जिरह** में कथन किया कि **"थाने पर गाड़ी खड़ी हुए करीब 5–7 दिन हो गए थे।** जिस गाड़ी का मैंने मैकेनिकल मुआयना किया था, उसकी बॉडी पर कोई डेण्टिंग पेंटिंग के निशान नहीं थे, गवाह ने खुद कहा कि आगे का बम्फर टूटा हुआ था।''

16. हस्तगत प्रकरण में आहतगत के मुडिकल मुआयना के संबंध में परीक्षित गवाह पीडब्ल्यू 11 रणजीत व पीडब्ल्यू 12 डॉ. अक्षय है।

पीडब्ल्यू 11 रणजीत ने सशपथ कथन किया कि ''दिनांक 09.09.2021 को मैंने डॉ. अक्षय की उपस्थिति एवं निर्देशन में आहत इन्द्रा देवी के शरीर पर आई चोटों की तीन एक्स–रे फिल्म खींची थी। एक्स–रे कवर नोट प्रदर्श पी–7 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। एक्स–रे फिल्म प्रर्दा पी–8 लगायत प्रदर्श पी–10 है, जिन पर ए से बी मेरे साईन है। उसी रोज मैंने आहता संतोष देवी के शरीर पर आई चोटों की तीन एक्स–रे फिल्म खींची थी। एक्स–रे कवर नोट प्रदर्श पी–11 है, जिस पर ए से बी मेरे साईन है। एक्स–रे फिल्म प्रदर्श पी–12 लगायत प्रदर्श पी–14 है, जिन पर ए से बी मेरे साईन है।''

17. पीडब्ल्यू 12 डॉ. अक्षय ने सशपथ कथन किया कि ''दिनांक 09.09.2021 को मैंने आहत **संतोष देवी** के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना पुलिस थाना खेतड़ी के प्रतिवेदन पर किया था, जिसके शरीर पर कुल पांच चोटें पाई गई, जिनमें चोट संख्या एक, दो, चार, पांच के लिये मैंने एक्स–रे और इलाज के दस्तावेज परीक्षण की राय दी थी। बाद एक्स–रे चोट संख्या 1 से 5 तक साधारण प्रकृति की पाई थी। सभी चोटें कुन्दाले हथियार से कारित थी। सभी चोटों की अवधि जांच से छः घण्टे के अन्दर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–15 है, जिस पर ए से बी मेरे साईन व सी से डी आहत का पहचान चिन्ह अंकित है। एक्स–रे कवर प्रदर्श पी–11 है, जिस पर सी से डी मेरे साईन है व ई से एफ मेरी राय दर्ज है। एक्स–रे प्लेट प्रदर्श पी–12 लगायत प्रदर्श पी–14 है, जिन पर सी से डी मेरे साईन है। उसी रोज मैंने आहत **इन्द्रा देवी** के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना पुलिस थाना खेतड़ी की तहरीर पर किया था, जिसके शरीर पर कुल तीन चोटें थी। उक्त तीनों चोटों के लिये एक्स–रे की राय दी थी। बाद एक्स–रे चोट संख्या एक व

तीन साधारण प्रकृति एवं चोट संख्या दो गम्भीर प्रकृति की पाई गई थी। चोटों की अवधि जांच से छः घण्टे के अन्दर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–16 है, जिस पर ए से बी मेरे साईन है व सी से डी आहत का पहचान चिन्ह अंकित है। इन्द्रा का एक्स–रे कवर नोट प्रदर्श पी–7 है, जिस पर सी से डी मेरे साईन व ई से एफ मेरी राय दर्ज है। एक्स–रे प्लेट प्रदर्श पी–08 लगायत 10 है, जिन पर सी से डी मेरे साईन है।''

18. पी0ड0–14 ओमप्रकाश प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, जिसने सशपथ कथन किया कि ''दिनांक 09.09.2021 को मु0नं0 658/21, थाना खेतड़ी की पत्रावली वास्ते अनुसंधान मेरे को प्राप्त हुई थी। दौराने अनुसंधान मैंने घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का नक्शा मौका मय हालात मौका प्रदर्श पी–03 बनाया, जिस पर जी से एच मेरे, ए से बी व सी से डी गवाहान के, ई से एफ गवाह के साईन है। जिसकी पुश्त पर हालात मौका दर्ज है। जिस पर ए से बी मेरे साईन है। परिवादी ने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 थानाधिकारी सरदारमल के समक्ष पेश की थी। जिसके आधार पर चाक एफआईआर प्रदर्श पी–2 दर्ज की हुई थी। दौराने अनुसंधान मैंने गवाहान सत्यवीर, सरिता, इन्द्रादेवी, मनिषा, संतोष देवी, के बयान उनके कथनानुसार दर्ज किये थे। फर्द निरीक्षण कार प्रदर्श पी–4 है मुर्तिब किया, जिस पर ए से बी व सी से डी, ई से एफ गवाहान के व जी सेएच मेरे साईन है। फर्द जब्ती थार गाड़ी नं० RJ 18 UA 4099 को जरिये प्रदर्श पी–4 जब्त किया, जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहान के व ई से एक मेरे साईन है। फर्द जब्ती कागजात प्रदर्श पी–5 है, जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहान के व ई से एफ मेरे साईन है। धारा 133 एमवीएक्ट का नोटिस मुलजिम सुनिल कुमार को दिया था, जो प्रदर्श पी–17 है, जिस ए से बी मेरे साईन है, सी से डी सुनिल कुमार के साईन है व ई से एफ सुनिल कुमार का जबाव है। जो सुनिल कुमार का कलमी है। धारा 134 एमवीएक्ट का नोटिस प्रदर्श पी–18 है, जिस पर ए से बी मेरे व सी से डी मालिक सुनिल कुमार के साईन है। मैकेनिकल मुआयना प्रदर्श पी–6 है, जिस पर ए से बी एमटीओ के साईन व ई से एफ मेरे साईन व सी से डी एमटीओ की रिपोर्ट है। मजरूबान के चोट प्रतिवेदन व एक्स–रे प्लेट व एक्स–रे रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये थे। बाद अनुसंधान मुलजिम सुनिल कुमार के विरूद्ध धारा 279, 337, 338 भा०द०स० में आरोप प्रमाणित मानकर आरोप पत्र पेश न्यायालय किया।''

पीडब्ल्यू 13 सरदारमल परिवादी द्वारा तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 पेश किए जाने व चाक प्र.सू.रिपोर्ट मुर्तिब किए जाने के संबंध में औपचारिक गवाह है।

19. हस्तगत प्रकरण में परिवादी पीडब्ल्यू 01 सतवीर ने प्र.सू.रिपोर्ट **प्रदर्श पी–1** में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए मुख्य परीक्षा में कथन किए हैं, परंतु उक्त परिवादी ने न्यायालय में मुख्य परीक्षा में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर सही नहीं बताए हैं। उक्त गवाह ने वाहन के नंबर हाथ पर लिखकर बयान दिए हैं। **जिरह** में गवाह ने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर RJ 18 U**C** 4099 बताए हैं, जबकि प्रकरण में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का आरजी नंबर RJ 18 U**A** 4099 है। साथ ही परिवादी पीडब्ल्यू 1 सतवीर ने जिरह में वक्त दुर्घटना वाहन के चालक को देखने का कथन किया है, परंतु वक्त दुर्घटना वाहन चालक की शिनाख्त हस्तगत प्रकरण के अभियुक्त सुनील के रूप में नहीं की है और कथन किया कि ''सुनील वक्त दुर्घटना गाड़ी का चालक नहीं था। मैंने सुनील को मौके पर नहीं देखा। मौके पर सुनील का लड़का गाड़ी चला रहा था।''

हस्तगत प्रकरण में आहतगत–चश्मदीद पीडब्ल्यू 5 इंद्रा, पीडब्ल्यू 7 संतोष तथा अन्य चश्मदीद पीडब्ल्यू 4 सुनील, पीडब्ल्यू 6 मनीषा ने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर मौखिक साक्ष्य में नहीं बताए हैं और वक्त दुर्घटना वाहन चालक अभियुक्त के होने के तथ्य की भी कोई ताईद न्यायालय में नहीं की है। प्र.सू.रिपोर्टकर्ता सतवीर ने वक्त दुघ र्टना स्वयं को क्षतिग्रस्त वाहन का चालक बताया है, जबकि आहता–चश्मदीद पीडब्ल्यू 5 इंद्रा देवी ने वक्त दुर्घटना क्षतिग्रस्त वाहन का चालक किसी राजपूतों के लड़के को होना बताया है। इस प्रकार परिवादी पीडब्ल्यू 1 सतवीर के दुर्घटना के चश्मदीद साक्षी होने का तथ्य भी प्रमाणित नहीं है।

20. अतः पत्रावली पर पेश समग्र साक्ष्य के मद्देनजर न्यायालय का मत है कि अभियुक्त सुनील के द्वारा दिनांक 09.09.2021 को दुर्घटना कारित की गई हो, इस संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है।

लिहाजा ऊपर की गयी समस्त विवेचना व पत्रावली पर मौजूद समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर न्यायालय का मत है कि अभियुक्त सुनील को आरोपित अपराध धारा **279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता** में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

–::आदेश::–

21. अतः **अभियुक्त सुनील पुत्र हंसराम,** हाल उम्र 32 वर्ष, निवासी नालपुर, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं (राज.) को आरोपित अपराध **धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता** में साक्ष्य अभाव में **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। अभियुक्त की नियमित उपस्थिति बाबत् पूर्व पेश जमानत मुचलके तुरंत प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।

प्रकरण में जप्त वाहन थार नं. RJ 18 UA 4099 सुपुर्दगीदार के पास है। बाद गुजरने मियाद अपील अवधि सुपुर्दगीनामा निरस्त समझा जावे।

(**सीमा कुमारी**)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खेतड़ी जिला झुन्झुनूं

22. निर्णय आज दिनांक **07/04/2026** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(**सीमा कुमारी**)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खेतड़ी जिला झुन्झुनूं